भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1571
दिनांक 20 सितम्बर, 2020 के लिए प्रश्न

विषय : पशु विशिष्ट पहचान

1571. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री भोला सिंहः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ परामर्श करके 12 अंक की पशु विशिष्ट पहचान संख्या (एयूआईडी) सहित पोल्यूरीथेन टेग्स का उपयोग करके पशु पहचान एवं उनका पता लगाने की तकनीक विकसित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने स्वच्छता और फाइटो स्वच्छता (एसपीएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशुओं की पहचान और उनका पता लगाने के लिए पशु संजीवनी योजना आरंभ की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) परियोजना का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक स्वास्थ्य कार्ड (नकुल स्वास्थ्य पत्र) की अनुमोदित दर का ब्यौरा क्या है;
(च) पशु संजीवनी योजना की राज्य-वार स्थिति क्या है; और
(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) और (ख) पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना प्रणाली (आईएनएपीएच) पहले ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित कर ली गई है और 12 अंकीय पशु विशिष्ट पहचान संख्या (एयूआईडी) के साथ पोली यूरे थेन टैग का उपयोग करके चिन्हित किये गये पशुओं का डेटा अपलोड करने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में उपयोग की जा रही है। यह पशु रिकॉर्डिंग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीएआर) के अनुरूप है।

(ग) से (ड़) भारत सरकार पशुओं के वैज्ञानिक प्रजनन, रोगों के फैलाव को रोकने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का व्यापार बढ़ाने के उददेश्य से 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या (पशु आधार) का उपयोग करके दुधारू गोपशुओं और भैंसों की पहचान कर रही है। इसे राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता

मिशन योजना के "पशु संजीवनी" घटक के अंतर्गत लागू किया जा रहा है जिसे अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। प्रत्येक स्वास्थ्य कार्ड के लिए स्वीकृत लागत मानदंड 4 रू. प्रति कार्ड है। तथापि, पशु आधार के तहत ट्रेसेबिलिटी को अब राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी बोवाईन पशुओं के साथ-साथ भेड़, बकरी और सुअर तक विस्तारित किया जा रहा है जिनकी कुल संख्या 53.5 करोड़ है।

(च) पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना प्रणाली (आईएनएपीएच) डेटा बेस के अनुसार, पंजीकृत पशुओं की राज्यवार स्थिति अनुबंध-। में दी गई है।

(छ) 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या (पशु आहार) का उपयोग करके पशुओं की ट्रेसेबिलिटी को अब सितम्बर, 2019 में प्रारंभ राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बोवाईन पशुओ के साथ-साथ भेड़, बकरी और सुअरों तक विस्तारित किया जा रहा है जिनकी कुल संख्या 53.5 करोड़ है।

*****

अनुबंध-I

16.9.2020 तक आईएनएपीएच डेटाबेस के अनुसार चिन्हति किये गये पशुओं का राज्यवार विवरण।

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत किये गये पशु
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	8186658
3	अरुणाचल प्रदेश	3112
4	असम	410256
5	बिहार	2823607
6	चंडीगढ़	3407
7	छत्तीसगढ़	1104547
8	दादरा और नगर हवेली	15538
9	दमन और दीव	2082
10	दिल्ली	2335
11	गोवा	61640
12	गुजरात	6841636
13	हरियाणा	643869
14	हिमाचल प्रदेश	636455
15	जम्मू और कश्मीर	250099
16	झारखंड	165770
17	कर्नाटक	5714298
18	केरल	1708334
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	8071642
21	महाराष्ट्र	3104593
22	मणिपुर	0
23	मेघालय	40961
24	मिजोरम	5098
25	नागालैंड	2869
26	ओडिशा	8493316
27	पुडुचेरी	17150
28	पंजाब	919445
29	राजस्थान	3543677
30	सिक्किम	11985
31	तमिलनाडु	5091871
32	तेलंगाना	6299470
33	त्रिपुरा	7946
34	उत्तर प्रदेश	6987423
35	उत्तरांचल	305694
36	पश्चिम बंगाल	222317
	कुल	**71699100**